0.24 कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया, वकील वादी ने काफी समय से प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी हेतु अवसर चाहा है। उन्हें कई अवसर दिये जा चुके

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत ______ मुकाम ______

जोगीराम बनाम रतनसिंह

किस्म मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	है, आज दिनांक को उपस्थित नहीं आये है। उनका यह कृत्य मुक्त प्रकरण मे इनकी रूचि नहीं होना जाहिर करता है। प्रचलित न्यायिक सिद्धान्तो के अनुसार दावा को सिद्ध करने व बाद की न्यायिक प्रक्रियाओ की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से वादी की होती है। हस्तगत प्रकरण मे वादी द्वारा तलबी को स्टेप कई अवसर दिये जाने के बाद भी नहीं लिया है। अतः दावा वादी आदेश 9 R 5 CPC के प्रावधानो के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर)	